नय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
न अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
नम्बरः— 55/2018 प्रार्थना पत्र
रायणलाल पिता मूला माली, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

——————प्रार्थी

बनाम

ति जमनी पत्नि प्यारचन्द्र माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला, पुर तहसील व जिला
लवाड़ा (राजस्थान)
प्रभू पिता हीरा माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
लक्ष्मण पिता हीरालाल माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
देबीलाल पिता धनराज माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
मोहन पिता प्यारा माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
देबी मुतबन्ना मांगू माली, उम्र बालिग निवासी माली मोहल्ला, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

—————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—30.01.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू— अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर पटवार पुरा भू—अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 255 3 बीघा 18 बिस्वा, 255/1 रकबा 1 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थीया दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया के खाते व कब्जे काश्त राजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। रण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश करमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 8.3.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल ो किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, से 6 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 को कितनी ही विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 20.7.2018 क तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। विपक्षी संख्या 7 का सम्मन बाद प्राप्त हुआ। विपक्षी संख्या 7 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी त नहीं होने के कारण दिनांक 17.8.2018 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

अधिकारी

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 111—128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर पुर पटवार हल्का पुरा भू—अभिलेख निरीक्षक पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा यत हाल आराजी नम्बर 255 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 255/1 रकबा 1 बिस्वा, कुल किता 2 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। ढ़ी किये जाने के लिये भू—अभिलेख निरीक्षक, पुर को 400/—रूपये (चार सौ रूपये) कमिश्नर पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के हसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner